


## फर्द अहकाम

### नाथुलाल बनाम कान्ता बैरवा व अन्य

पत्र संख्या: 139/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.11.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने पर व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी पर समस्त खातेदारों का हर इन्च पर बिना विभाजन कब्जा काश्त है। प्रार्थी के मूल वाद में प्राथमिक डिक्री पारित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ सलग्न हो। सुनाया गया।</p> <p> जयखण्ड अधिकारी लखपुर जिलिय (सांगानेर)</p>	

